समाहरणालय, दरभंगा।

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

श्री कुमार रवि, भा0प्र0से0 जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा दिनांक–27.07.2015 को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निरीक्षण हेतु निरीक्षण टिप्पणी।

1. परिचय

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक 345 दिनांक 11.05.1989 के द्वारा जिला स्तर पर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग का गठन किया गया है। यह कोषांग दरभंगा समाहरणालय के पुराने कोषागार भवन के एक कमरा में अप्रील, 2014 से चल रहा है। इस जिला अन्तर्गत तीन अनुमंडल में कुल 18 प्रखंड है।

2. पूर्व का निरीक्षण

इस कोषांग का पूर्व में निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया हैं –

क0	निरीक्षी पदाधिकारी	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	सुश्री अमिता पाल, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा	26.03.2001	20.01.2003	08.02.2003
2	डा0 के0पी0 रमैया, आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	22.09.2004	15.03.2005	——
3	श्री उपेन्द्र शर्मा, जिला पदाधिकारी, दरभंगा	05.10.2006	10.10.2006	17.01.2007

पूर्व निरीक्षण की टिप्पणी संचिका में संधारित कर रखी गयी है, जिसका अवलोकन किया गया है। निरीक्षण के कम में पाया गया कि दिनांक 22.09.2004 को डा0 के0पी0 रमैया, आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के द्वारा किए गए निरीक्षण का अनुपालन कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को निदेश दिया गया कि एक पक्ष के अन्दर उपरोक्त निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन सुनिश्चित करावें।

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, दरभंगा द्वारा कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि प्रत्येक छः माह पर कार्यालय का निरीक्षण निश्चित रूप से करें।

3. कार्यालय प्रभार

वर्त्तमान में श्री प्रशांत मिश्र, सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, दरभंगा दिनांक 04.07.2015 से इस कार्यालय के अतिरिक्त प्रभार में है, इनके पूर्व श्री शंभू प्रसाद दिनांक 16.07.2011 से 03.07.2015 तक सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, दरभंगा के प्रभार में रहें है।

4. स्थापना

इस कोषांग में 1 प्रधान लिपिक एवं 5 लिपिक का पद स्वीकृत है, परन्तु तद्नुसार पदस्थापन नहीं किया गया है। वर्त्तमान में इस कार्यालय में तीन लिपिक पदस्थापित है तथा एक संविदा लिपिक दिनांक 01.04.2013 से प्रतिनयुक्त है। स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

निरीक्षण के कम में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि इस कार्यालय में कार्यालय परिचारी का पद स्वीकृत नहीं है। श्रीमती शांति देवी कार्यालय परिचारी निर्वाचन शाखा से इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर है तथा श्रीमती उमा देवी, कार्यालय परिचारी मूक बधिर विद्यालय से विगत दो वर्षो से इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर है। उन्होने एक पुरूष कार्यालय परिचारी की आवश्यकता बतायी ताकि स्थानीय पत्रों का वितरण सही ढंग से करवाया जा सके। स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

निरीक्षण के कम में यह भी पाया गया कि श्री मिथिलेश कुमार, लिपिक मूक बधिर विद्यालय से इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर है। परन्तु उनकी प्रतिनियुक्ति कब तक के लिए की गयी है, यह निर्धारित नहीं किया गया है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को निदेश दिया गया कि उपरोक्त लिपिक की प्रतिनियुक्ति अवधि निर्धारित करें।

दैनिक उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया गया। कर्मियों द्वारा बनाए जा रहे दैनिक उपस्थिति की जॉच सहायक निदेशक/प्रधान सहायक द्वारा नहीं की जाती है। प्रधान सहायक को दैनिक रूप से तथा सहायक निदेशक को सप्ताह में कम से कम एक दिन कर्मियों की उपस्थिति की जॉच करने का निदेश दिया गया।

5. पत्राचार

सामाजिक सुरक्षा कोषांग में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी संधारित है। प्राप्त पत्रों की पंजी का अवलोकन किया गया, इसके कॉलम 6 से 10 एवं निर्गत पत्रों की पंजी का कॉलम 4 से 9 तक नहीं भरा जाता है तथा निर्गत पत्रों की पंजी एवं पत्र पर संचिका संख्या अंकित नहीं किया जाता है। प्रभारी लिपिक को निदेशित कया गया कि प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी का उपरोक्त कॉलम भरा जाय तथा प्रधान सहायक को निदेश दिया गया कि सभी निर्गत पत्रों पर संचिका संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करवाना सुनिश्चित करें। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करावेंगे। समाहरणालय, दरभंगा के सभी शाखा भी उपरोक्त निदेश का अनुपालन करेंगे एवं कार्यालय अधीक्षक इसे सुनिश्चित करावेंगे। प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजियों के अवलोकन से वर्षवार पत्राचार की स्थिति निम्नवत् है:–

क0	वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या
1	2012	1629	1269
2	2013	1552	979
3	2014	1003	723
4	2015	516 (निरीक्षण की लिथि तक)	388 (निरीक्षण की तिथि तक)

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि निर्गत पत्रों की संख्या प्राप्त पत्रों की तुलना में काफी कम है। प्रधान सहायक एवं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को पत्राचार में वृद्धि करवाने का निदेश दिया गया।

6. सेवा पुस्त

प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि सभी कर्मचारियों का सेवापुस्त संधारित है, लेकिन अभी यह जिला स्थापना प्रशाखा में जमा कराया गया है। सभी सेवापुस्त अद्यतन बताया गया। निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि सेवापुस्त पंजी नहीं खोला गया है। प्रधान सहायक को निदेशित किया गया कि सेवापुस्त पंजी का संधारण सुनिश्चित करावें।

7. कर्मपुस्त

सभी लिपिको का कर्मपुस्त संधारित है। श्री चन्द्र कुमार मिश्र, प्रधान सहायक श्री रामनाथ चौधरी, लिपिक, श्री विनोद कुमार झा, लिपिक तथा श्री अवधेश प्रसाद, लिपिक के कर्मपुस्त का अवलोकन किया गया। कर्म पुस्त में अनुपालन की स्थिति सही ढ़ंग से अंकित नहीं की गयी है। प्रधान सहायक सहित सभी लिपिकों को एक सप्ताह के अन्दर कर्म पुस्तिका में सही ढ़ंग से अनुपालन अंकित करने का निदेश दिया गया। प्रधान सहायक को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के अंत में सभी लिपिकों के कर्मपुस्त की समीक्षा कर लंबित पत्रों की सूची तैयार करें एवं प्राथमिकता के आधार पर इसका निष्पादन सुनिश्चित करावें। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को निदेश दिया गया कि वे प्रत्येक सप्ताह में लिपिकों के कर्मपुस्त का निश्चित रूप से निरीक्षण करें एवं लंबित पत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करावें।

किसी भी सहायक के बैठने स्थान पर उनका नेम प्लेट लगा हुआ नहीं पाया गया और न ही कार्य तालिका की विवरणी ही पायी गयी, प्रधान सहायक इसे सुनिश्चित करावेंगे।

8. रक्षी संचिका

इस कार्यालय में विभिन्न योजनाओं की 8 रक्षी संचिका संधारित पायी गयी।

9. केन्द्र प्रायोजित योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यकम के अन्तर्गत राज्य में निम्नांकित चार योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही है :–

9.1 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

इस योजना का आरम्भ 24.09.2007 से किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60–79 वर्ष के लाभार्थी को प्रतिमाह रू0 400.00 की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। 80 वर्ष या उससे अधिक के पेंशनधारियों को 500/– रू0 की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना की उपलब्धि निम्न प्रकार पायी गई :–

वर्ष	पेंशन योजना का नाम	घटक	उपलब्ध राशि	वितरित राशि	अवशेष राशि	लाभान्वितों की संख्या
2014–15	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	सामान्य	717731271	665352900	52378371	208971
		विशेष	156929186	143003100	13926086	

इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में प्रथम किस्त के लिये उपलब्ध राशि इस प्रकार है :–

वर्ष	पेंशन योजना का नाम	घटक	उपलब्ध राशि	
			केन्द्रांश	राज्यांश
2015–16	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	सामान्य	1179.80	1179.80
		विशेष	350.00	350.00

उपलब्ध राशि प्रखण्डों को उपावंटित कर दी गयी है। दिनांक–20.07.2015 से पेंशन वितरण किया जा रहा है। सहायक निदेशक को मृत एवं निरर्हित पेंशनधारियों का सत्यापन कराकर वास्तविक पेंशनधारियों की संख्या उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। व्यय विवरणी प्रखंडों से प्राप्त कर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार पटना को भेजा गया है।

9.2 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40–79 वर्ष के लाभार्थी को प्रतिमाह रू0 400/– की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना की उपलब्धि निम्न प्रकार पायी गई :–

वर्ष	पेंशन योजना का नाम	घटक	उपलब्ध राशि	वितरित राशि	अवशेष राशि	लाभान्वितों की संख्या
2014–15	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	सामान्य	150380686	143689500	6691186	39822
		विशेष	34068790	31499590	2569200	

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में प्रथम किस्त के लिये उपलब्ध राशि की विवरणी इस प्रकार है:–

वर्ष	पेंशन योजना का नाम	घटक	उपलब्ध राशि	
			केन्द्रांश	राज्यांश
2015–16	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	सामान्य	350.00	116.45
		विशेष	149.60	40.00

उपलब्ध राशि प्रखण्डों को उपावंटित कर दी गयी है। दिनांक–20.07.2015 से पेंशन वितरण किया जा रहा है। सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि मृत एवं निरर्हित पेंशनधारियों का सत्यापन कराकर वास्तविक पेंशनधारियों की संख्या शीघ्र उपलब्ध करावें। व्यय विवरणी प्रखंडों से प्राप्त कर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार पटना को भेजा गया है।

9.3 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना

इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18–79 वर्ष की उम्र वाले, जिनकी विकलांगता 80 प्रतिशत हो, ऐसे लाभार्थी को प्रतिमाह रू0 400/– की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना की उपलब्धि निम्न प्रकार है :–

वर्ष	पेंशन योजना का नाम	घटक	उपलब्ध राशि	वितरित राशि	अवशेश राशि	लाभान्वितों की संख्या
2014–15	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन	सामान्य	4905940	4230000	675940	1207
		विशेष	1414700	970100	444600	

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में प्रथम किस्त के लिये उपलब्ध राशि निम्न प्रकार है :–

वर्ष	पेंशन योजना का नाम	घटक	उपलब्ध राशि	
			केन्द्रांश	राज्यांश
2015–16	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रिय निःशक्तता पेंशन	सामान्य	13.60	49.30
		विशेष	5.10	1.70

उपलब्ध राशि प्रखण्डों को उपावंटित कर दी गयी है। दिनांक–20.07.2015 से पेंशन वितरण किया जा रहा है। सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि मृत एवं निरर्हित पेंशनधारियों का सत्यापन कराकर वास्तविक पेंशनधारियों की संख्या शीघ्र उपलब्ध करावें। व्यय विवरणी प्रखंडों से प्राप्त कर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार पटना को भेजा गया है।

9.4 राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18–59 वर्ष एवं मुख्य जीवकोपार्जक की मृत्यु होने पर उनके आश्रितो को इस योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2012 से 20000/– रू0 अनुदान प्रदान की जा रही है।

उपलब्धि इस प्रकार है :–

वर्ष	पेंशन योजना का नाम	घटक	उपलब्ध राशि	वितरित राशि	अवशेष राशि	लाभान्वितों की संख्या
2014–15	राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना।	सामान्य	13259000	13259000	–	643
		विशेष	1262000	1262000	–	631

व्यय विवरणी प्रखंड से प्राप्त कर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार पटना को भेजा गया है।

10. राज्य प्रायोजित योजना

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत राज्य मद से निम्नांकित योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही है :–

10.1 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन

इस योजना के अन्तर्गत 18–79 वर्ष की विधवाएँ गरीबी रेखा के अधीन सूचीबद्ध, जिनकी वार्षिक आय रू0 60000/– से अधिक ना हो को प्रतिमाह रू0 400/– की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना की उपलब्धि निम्न प्रकार है :–

वर्ष	पेंशन योजना का नाम	घटक	उपलब्ध राशि	वितरित राशि	अवशेष राशि	लाभान्वितों की संख्या
2014–15	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन	सामान्य	119327510	111091950	8235560	25022
		विशेष	35637280	33599200	4106021	

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में प्रथम किस्त के लिये उपलब्ध राशि इस प्रकार है :–

वर्ष	पेंशन योजना का नाम	उपलब्ध राशि	
		सामान्य घटक	विशेष घटक
2015–16	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन	291.55	124.95

उपलब्ध राशि प्रखण्डों को उपावंटित कर दी गयी है। दिनांक–20.07.2015 से पेंशन वितरण किया जा रहा है। सहायक निदेशक को मृत एवं निरर्हित पेंशनधारियों का सत्यापन करा कर वास्तविक पेंशनधारियों की संख्या उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। व्यय विवरणी प्रखंडों से प्राप्त कर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार पटना को भेजा गया है।

10.2 बिहार राज्य निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन

इस योजना के अन्तर्गत जिनकी विकलांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत हो ऐसे लाभार्थी को प्रतिमाह रू0 400/– की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। योजना की उपलब्धि निम्न प्रकार पायी गई :–

वर्ष	पेंशन योजना का नाम	घटक	उपलब्ध राशि	वितरित राशि	अवशेष राशि	लाभान्वितों की संख्या
2014–15	बिहार निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन	सामान्य	108757490	99368800	9388690	27692
		विशेष	28333070	24227049	4106021	

इस योजना के तहत वर्ष 2015–16 में प्रथम किस्त के लिये उपलब्ध राशि निम्न प्रकार है :–

वर्ष	पेंशन योजना का नाम	उपलब्ध राशि	
		सामान्य घटक	विशेष घटक
2015–16	बिहार निःशक्तता पेंशन	300.90	110.00

उपलब्ध राशि प्रखण्डों को उपावंटित कर दी गयी है तथा दिनांक–20.07.2015 से पेंशन वितरण किया जा रहा है। सहायक निदेशक को मृत एवं निरर्हित पेंशनधारियों का सत्यापन कराकर वास्तविक पेंशनधारियों की संख्या उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। व्यय विवरणी प्रखंडों से प्राप्त कर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार पटना को भेजा गया है।

10.3 राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन

इस योजनान्तर्गत बंधुआ/बाल मजदूर को छोड़कर नयी स्वीकृति नही दी जा रही है। इस योजना के लाभुक को प्रतिमाह रू0 400/– की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। योजना की उपलब्धि निम्न प्रकार है :–

वर्ष	पेंशन योजना का नाम	घटक	उपलब्ध राशि	वितरित राशि	अवशेष राशि	लाभान्वितों की संख्या
2014–15	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	सामान्य	6102100	5626500	475600	601
		विशेष	2344700	1249400	1095300	

इस योजना के तहत वर्ष 2015–16 में प्रथम किस्त के लिये उपलब्ध राशि इस प्रकार है :–

वर्ष	पेंशन योजना का नाम	उपलब्ध राशि	
		सामान्य घटक	विशेष घटक
2015–16	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन	48.45	20.40

उपलब्ध राशि प्रखण्डों को उपावंटित कर दी गयी है तथा दिनांक–20.07.2015 से पेंशन वितरण किया जा रहा है। सहायक निदेशक को मृत एवं निरर्हित पेंशनधारियों का सत्यापन कराकर वास्तविक पेंशनधारियों की संख्या उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। व्यय विवरणी प्रखंडों से प्राप्त कर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार पटना को भेजा गया है।

10.4 मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना

इस योजना के तहत दुर्घटना या अपराधिक घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को एक मुश्त 20,000 रूपया अनुदान दी जाती है।

10.5 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना

इस योजना के तहत मुखिया/नगर पार्षद द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो जाने पर उनके दाह–संस्कार के लिए उनके परिवार को रू0 3000/– नगद भुगतान किया जा रहा है। इस योजना की उपलब्धि निम्न प्रकार है :–

वर्ष	पेंशन योजना का नाम	घटक	उपलब्ध राशि	वितरित राशि	अवशेष राशि	लाभान्वितों की संख्या
2014–15	कबीर अन्त्येष्टि योजना	सामान्य	17437906	6745800	106992106	2249
		विशेष	6450125	2050000	4400125	683

व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखंड/अनुमंडल से प्राप्त कर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार पटना को भेजा जाय।

10.6 मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना

इस योजना के अन्तर्गत 14 वर्ष से अधिक आयु वाले, जिनकी विकलांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं वार्षिक आय एक लाख रू0 से अधिक ना हो, को तिपहिया साईकिल दिया जाता है। वर्ष 2014–15 में तिपहिया साईकिल क्रय कर प्रखण्डों को उपावंटित कर दी गयी है। स्क्रीनिंग कमिटि द्वारा पारित लाभार्थियों की सूची संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है।

10.7 बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना

इस योजना के तहत कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं कौशल विकास कार्यक्रम के तहत भिक्षावृति से मुक्ति हेतु बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना अन्तर्गत भोजनादि के लिए 1500 रूपये प्रतिमाह सहायता दी जाती है। वर्ष 2014–15 में उपलब्ध 3,44,000 रूपये 60 कुष्ठ रोगियों के बीच वितरण हेतु RTGS/NEFT के माध्यम से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरभंगा को अन्तरित किया गया है तथा व्यय विवरणी प्रखंड से प्राप्त कर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना को भेजा गया है।

10.8 बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना

इस योजना के अन्तर्गत एड्स के प्रसार को रोकने हेतु एड्स रोगी को भोजनादि के लिए 1500 रूपये प्रतिमाह सहायता दी जाती है। इस योजना को बिहार राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी संचालित करती है।

10.9 वस्त्र वितरण

इस योजना के तहत निर्धन, भिक्षुक, एवं अन्य निःशक्तजनों के बीच ठण्ड से बचाव के लिए 722 कम्बल बितरण के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारियों से व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

11. स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित विशेष योजना :–

11.1 नेत्रहीन एवं मूकबधिर विद्यालय कामेश्वरी प्रिया पुअर होम में निःशक्तजनों के लिए राजकीय नेत्रहीन एवं मूकबधिर विद्यालय संचालित है। नेत्रहीन विद्यालय में वर्ग 01 से 10 तक की पढ़ाई होती है। मूकबधिर विद्यालय में वर्ग 01 से 08 तक की पढ़ाई होती है। वर्ष में कम से कम दो बार इस विद्यालय का निरीक्षण किया जाना है, जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा इसे सुनिश्चित करें।

11.2 एडिप योजना अन्तर्गत निःशक्तजनों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण यथा तिपहिया साईकिल, बैसाखी, कैलिपर आदि दिया जाता है। पृच्छा किये जाने पर सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि ट्राई साईकिल वितरण हेतु अंतिम बैठक दिनांक 26.03.2015 को हुई है। भंडार पंजी की माँग किये जाने पर इसे संधारित नहीं पाया गया। सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि भंडार पंजी का संधारण अविलंब सुनिश्चित करावें तथा जिला स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों के वितरण हेतु शीघ्र बैठक का आयोजन करते हुए सामग्रियों के वितरण हेतु शिविर का आयोजन करें।

11.3 जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र :– (DDRC) जिला पुर्नवास केन्द्र जिला रेडक्रॉस सोसाईटी द्वारा संचालित थी परन्तु केन्द्रीय अनुदान नहीं मिलने के कारण बन्द पड़ी है। सहायक निदेशक को इसे पुर्नजीवित करने हेतु जिला प्रबन्धन समिति (DMT) का गठन कर परियोजना प्रस्ताव सरकार को भेजने हेतु निदेश दिया गया।

11.4 विकलांगता जाँच एवं प्रमाणीकरण :– विकलांगता जाँच एवं प्रमाणीकरण हेतु विशेष अभियान चलाकर प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। अद्यतन प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:–

दृष्टिबाधित–1822, मुकबधिर–1741, अस्थि–7637, मानसिक–1041, बहुविकलांगता–1209, कुल :– 13450

11.5 विकलांग छात्रवृति योजना :– सरकारी विद्यालयों एवं संस्थाओं में वर्ग 01 से स्नाकोत्तर तथा उससे उपर की कक्षाओं में पढ़ने बाले विकलांग छात्र छात्राओं को शिक्षा प्राप्ति हेतु छात्रवृति दी जाती है, इस योजना की उपलब्धि निम्न पकार है:–

वर्ष	पेंशन योजना का नाम	घटक	उपलब्ध राशि	वितरित राशि (प्रखण्ड)	वितरित राशि (सा0 सु0)	अवशेष राशि (सा0 सु0)
2014–15	विकलांग छात्रवृति योजना	सामान्य	1186189	840000	346189	840000
		विशेष	723777	860000	63777	660000

सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखंडों से प्राप्त कर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार पटना को भेजा जाय।

12. मुख्यमंत्री निःशक्ताजन स्वरोजगार ऋण योजनाः—

निःशक्ताजनों को उद्यम रोजगार के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा 1.50 रूपये अधिकतम ऋण दी जाती है, जिसकी वसूली 20 त्रैमासिक किस्तों में सूद सहित करनी पड़ती है। सहायक निदेशक को इस योजना के तहत आवेदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

13. मुख्यमंत्री निःशक्ताजन शिक्षा ऋण योजनाः—

विकलांग छात्र/छात्राओं को मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री डिप्लोमा तकनीकी व्यवसायिक कोर्स के लिये ऋण दिया जाता है। सहायक निदेशक को इस योजना के तहत आवेदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

14. मद्य एवं औषधि दुरूपयोग निवारण योजनाः—

मद्य एवं औषधि दुरूपयोग निवारण योजना हेतु स्वंयसेवी संस्था बिहार विकास परिषद द्वारा रौशनी एकीकृत पुर्नवास केन्द्र मिलान चौक, दरभंगा में संचालित है, जो एवेयरनेस एवं रोक थाम हेतु उपचार एवं परामर्श देती है, इसे केन्द्रीय अनुदान मिलता है। सहायक निदेशक को उपरोक्त संस्था के कार्यकलाप पर नजर रखने तथा संस्था को ऐवरनेस कार्यक्रम आयोजित करने का निदेश देने हेतु निदेशित किया गया।

15. मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजनाः—

भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन कर रहे भिक्षुको के पुर्नवास हेतु इस जिले का चयन किया गया है। स्वंयसेवी संस्था जागृति को पुर्नवास गृह संचालन हेतु अधिकृत किया गया है। सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि पुर्नवास गृह संचालित करने हेतु संबंधित संस्था से शीध्र पत्राचार करें।

16. उच्च न्यायालय के लंबित मामलेः—

समीक्षा के कम में पाया गया कि सुलेखा कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य का मामला लंबित है। सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि इस मामले में रिट याचिका की प्रति प्राप्त कर तथ्य विवरणी तैयार कर शीघ्र प्रति शपथ पत्र दायर करें।

17. लोक सभा/विधान सभा लंबित प्रश्नः—

लोक सभा/विधान सभा के छः प्रश्न लंबित बताए गये। सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारी को स्मारित कर उत्तर सामग्री प्राप्त करते हुए सरकार को भेजा जाय।

18. अंकेक्षणः—

उप लेखा नियंत्रक वित्त (अंकेक्षण) दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा द्वारा अंकेक्षण नहीं किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा वर्ष 2014—15 तक लेखा परीक्षा किया गया है। उनके द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का तत्काल निवारण कर दिया गया है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अप्राप्त है।

19. जनशिकायतः—

जन शिकायत पंजी संधारित है। प्रधानमंत्री जनशिकायत के एक मामले, मुख्यमंत्री जनता दरबार के एक मामले एवं जिला जनता दरबार के 60 मामले लंबित पाए गए, जिसके शीध्र निष्पादन का निदेश सहायक निदेशक को दिया गया।

20. नजारतः—

विभिन्न शीर्षो अन्तर्गत रोकड़बही एवं उप रोकड़बही संधारित है श्री अवधेश प्रसाद, सामान्य लेखापाल मूकबधिर विद्यालय दरभंगा नाजिर के पद पर प्रतिनियुक्त है। मुख्य रोकड़ पंजी का अवलोकन किया गया, यह दिनांक 20.09.2014 तक ही अंकित है, जिस पर मात्र नाजिर एवं प्रधान सहायक का हस्ताक्षर है। परन्तु सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा का हस्ताक्षर नहीं है, जो वित्तीय रूप से सही स्थिति नहीं है। इसके आगे मुख्य रोकड़ पंजी 13.07.2015 तक भरा हुआ है, परन्तु हस्ताक्षरित नहीं है। सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सभी विवरणी पर हस्ताक्षर सुनिश्चित करावें।

रोकड़ पंजी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि बैंक समाधान अंतिम रूप से दिनांक 18.09.14 को किया गया है, कुल 6 खाता संधारित है, जिसमें बैंक मद में 1,08,37,532- रूपये है तथा कुल रोकड़ अवशेष 1,09,21124 रूपये है।

वर्त्तमान में विभिन्न पेंशन योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि RTGS/NEFT से अन्तरित किये जाते है। विभिन्न योजनाओं की राशि, बचत बैंक पासबुक में रखी गयी है। नाजिर को निदेश दिया गया कि सभी पासबुकों को अद्यतन करा कर सूद की राशि की प्रविष्टि भी रोकड़ बही में करें।

21. डाटा डिजिटाईजेशन:—

डाटा डिजिटाईजेशन कार्य के लिये ए0 के0 इन्टर प्राईजेज, पटना का चयन किया गया है एवं कार्यादेश निर्गत की तिथि से 20 दिनों के अन्दर उन्हें कार्य पूरा करने हेतु निदेश दिया गया है। प्रथम चरण का कार्य चल रहा है। श्री मिथिलेश कुमार, लिपिक मूकबधिर विद्यालय दरभंगा को डाटा डिजिटाईजेशन कार्य की देख–रेख हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है। सहायक निदेश को निदेश दिया गया कि डाटा डिज़िटाईजेशन कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

22. ए0सी0–डी0सी0 बिल:—

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दरभंगा जिला के लंबित विपत्रों मे निहित राशि में से 14354956/– रूपये के विपत्र का सामंजन हो चुका है।

कुल लंबित राशि :–	15578556.00
समायोजित राशि :–	14354956.00
शेष लंबित :–	1223600.00

सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि डी0सी0 विपत्रों के पूर्ण समायोजन हेतु जिला स्तर पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ विशेष बैठक आयोजित कर निष्पादन सुनिश्चित करावें।

ह0/-
जिलाधिकारी
दरभंगा।

ज्ञाप संख्या 2848 /सी0, लहेरियासराय, दिनांक 08 अगस्त, 2015.

प्रतिलिपि सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, दरभंगा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि कार्यालय अधीक्षक, समाहरणालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि समाहरणालय, दरभंगा के सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
दरभंगा।

39